**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**
**पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.**
**प्रकरण संख्या 58 / 2024 (उदयपुर डिक्री)**

किशोर पिता पप्पू जी, जाति भील, निवासी गादोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

**बनाम**

1. गोपाल मीणा पिता धर्मा जी, जाति मीणा, निवासी गणगौर फलां खरपीणा, तहसील गिर्वा हाल निवासी युनिवर्सिटी रोड़, पायडा, उदयपुर (राज.)
2. मगनीराम पिता स्वर्गीय भेरा जी, जाति भील, निवासी जवान जी का खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. जयचन्द्र पिता रामा जी, जाति भील, निवासी जवान जी का खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मावली दि0
29.05.2018 प्रकरण संख्या 218 / 2011

———/———

उपस्थित :– 1– श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

**निर्णय** **दिनांक 10–03–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी नंबर जिसके पड़ोस वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित है गांव जवान का खेड़ा, तहसील मावली में स्थित है। भाग ''अ'' वर्णित आराजी नंबर 112, 156, 159, 162, 163, 166, 92 कुल किता 7 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, भाग ''अ'' वर्णित आराजी नंबर 112, 156, 159, 162, 163, 166, 92 कुल किता 7 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:03 IST
Reason: SelfAttested

भाग ''ब'' वर्णित आराजी नंबर 97, 99 कुल किता 2 रकबा 4 बिस्वा तथा भाग ''स'' वर्णित आराजी नंबर 106 रकबा 5 बिस्वा (कुंआ) के मूल पुरूष रामा जी थे, जिनके तीन पुत्र भेरा, नन्दा व जयचन्द हैं। प्रतिवादीगण के भाई नन्दा ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13–09–2010 को भाग ''अ'' वर्णित आराजी का 1/3 हिस्सा, भाग ''ब'' वर्णित आराजी का 2/27 हिस्सा तथा भाग ''स'' वर्णित आराजी का 1/9 हिस्से का विक्रय वादीगण के पक्ष में कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। वक्त विक्रय नन्दा जी द्वारा भाईयों के मध्य समस्त भूमि का बंटवारा होने का कथन किया गया था, जबकि मौके पर विधिवत विभाजन नहीं होने से मौके पर विवाद होता है। अतः विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर दिनांक 20–05–2016 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 29–05–2018 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–07–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री तुलसीराम डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने आदेश 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया था, न ही प्रार्थी को कोई सूचना दी गयी, जबकि कथित निर्णय व डिक्री से प्रार्थी के हित प्रभावित होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

हमने प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अनुसार अपीलान्ट/प्रार्थी का भी विवादित आराजियात में हिस्सा निहित है, जबकि उसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः न्याय हित में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:03 IST
Reason: SelfAttested

अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट पटवारी हल्का के पास खाते की नकल लेने गये तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा उन्हें पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री होने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 भेरा की मृत्यु पश्चात केवल मगनीराम को ही पक्षकार बनाया, जबकि भेरा के अन्य पुत्र हीरा के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया। अपीलान्ट ने विधिवत भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाये जाने से वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना नहीं रख सके। इसके अलावा विभाजन में मात्र वादी का हिस्सा अलग किया गया है, शेष पक्षकारों का हिस्सा शामलाती रखा गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्ट को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर देकर विधिवत सुनवाई कर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 भेरा की मृत्यु पश्चात केवल मगनीराम को ही पक्षकार बनाया, जबकि भेरा के अन्य पुत्र हीरा के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया, जबकि अपीलान्ट द्वारा हीरा के वारिसान से भूमि क्रय जाकर कब्जा प्राप्त कि[illegible] है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:03 IST
Reason: SelfAttested

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03–10–2011 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा हीरा के वारिसान से विवादित आराजियात क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है तथा अपीलान्ट विवादित आराजियात का सहखातेदार होने से अंतिम डिक्री में भी उसका हिस्सा अंकित किया हुआ है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण में हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है, उसमें भी मात्र वादी के हिस्से को ही अलग किया गया है, शेष सहखातेदारों का हिस्सा शामलाती रखा गया है, जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–05–2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को प्रतिवादी के रूप में संस्थित कर तथा उसका जवाबदावा लेकर एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05–05–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 10–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:03 IST
Reason: SelfAttested